04/04/22 — पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को एक-2 कर आवाजें लगाई गई। हाजिर नहीं है। प्रकरण तलबी हेतु विचाराधीन है। प्रतीत होता है कि वादी की प्रकरण चलाने में रूचि नहीं है। अतः वाद-पत्र वादी वकील वादी एवं वादी की अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील में दाखिल [illegible] दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.05.12 11:55:49 IST
Reason: SelfAttested